

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की सामील में जारी हुए
26/11/24	पत्रावली पेश हुई वादी आधी 350 विपक्षी आधी 350 प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 18/12/24 को पेश है	
18/12/24	पत्रावली पेश हुई वादी आधी 350 विपक्षी आधी 350 प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 7/1/25 को पेश है	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई उच्चपदाकारान् आदि. उप.) पत्रावली में वादी को साक्ष्य उपलब्ध करने हेतु न्यायाधीन में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वादने साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 17/1/25 को पेश है।	Notal Annot
17/1/25	पत्रावली पेश हुई उच्चपदाकारान् आधी 350 प्रकरण के अन्तिम अवसर दिए जाकर पत्रावली दिनांक 3/2/25 को पेश है।	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई वादी आधी. उप.) वादी को साक्ष्य हेतु निरन्तर अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना दावा सिद्ध करने के लिये साक्ष्य वादी पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेश नहीं किये जाने के कारण वादी द्वारा उपलब्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 व 54 शकसमान कारतकारी आधीनियम को साक्ष्य करने में विफल रहा है। अतः वादी द्वारा उपलब्ध वाद को वादी द्वारा साक्ष्य करने में असमर्थ रहने के कारण वादी द्वारा उपलब्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188 शकसमान कारतकारी आधीनियम को उन्कारित किया जाता है। निष्पत्ति संरक्षण सुनाया गया। डिक्ली पचा जाकी हो। पत्रावली फाइनल शुमाए लेकर वादीत रफतार हो तथा नम्बर में कम हो।	

03/2/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. डालचन्द पिता स्व0 रूपलाल जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1. किशनलाल पिता स्व0 रूपलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
2. रणजीत पिता स्व0 रूपलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा
3. भगवान पिता स्व0 रूपलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा
4. गोस्धन पिता स्व0 रूपलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा
5. मु0 नन्दु देवी पुत्री स्व0 रूपलाल पत्नी स्व0 कजोड़मल जाति विश्नोई आयु वयस्क
निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बंशीलाल पिता स्व0 गंगाराम जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
7. मुरलीधर पिता स्व0 गंगाराम जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
8. मु0 मोहनी देवी पुत्री स्व0 गंगाराम जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0
एवं जिला भीलवाड़ा
9. मु0 जड़ाई देवी बेवा श्री गंगाराम जी पत्नी जगदीश जी जाति विश्नोई आयु वयस्क
निवासी दरीबा हाल पांसल का बीड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रामलाल पिता स्व0 कुका जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
11. शंकर लाल पिता स्व0 कुका जी जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
12. छगनलाल पिता स्व0 भैरु लाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र

**अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् विभाजन आराजियात, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 124/2009 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 03.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादी द्वारा साबित करने में असमर्थ रहने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

(अरुण कुमार जैन)
3/2/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा